न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 35/2020 दायर दिनांक– 09.06.2020

रामदेव सिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदक

–:: **बनाम** ::–

1. देवकरण पुत्र मुखराम
2. नेतराम पुत्र मुखराम
3. मूलचन्द पुत्र मुखराम
4. रूघवीर पुत्र मुखराम (मृतक)

4/1. बिदामी पत्नी रूघवीर
4/2. अनिल पुत्र रूघवीर
4/3. कल्पना पुत्री रूघवीर
4/4. अल्का पुत्री रूघवीर
समस्तगण जाति जाट निवासीगण ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री विप्लव पंडित
वकील अनावेदक :– श्री कुलदीप सिंह

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: **निर्णय** ::–

निर्णय दिनांक 24.02.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बुगाल पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ की सरहद में नई खाता सख्या 346 की भूमि खसरा नम्बर 1412/328, 1479/374, 1480/374, 1481/374, 1482/374, 1727/329, 326, 327, 329, 374 रकबा क्रमशः 0.14, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.8160, 0.60, 0.4539, 0.26, 0.25 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.5199 हैक्टर स्थित है, जिसका आवेदक खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 1729/327 रकबा 0.0261 हैक्टर मूल खसरा नम्बर 327 का भाग है तथा राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद में नई खाता संख्या 142 की भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.78 हैक्टर स्थित है, जिसके अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार है। यहां आवेदक का वाद भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328, 1412/1328, 329 के राजस्व नक्शे को लेकर है, जो भूमि पुराने खसरा नम्बर 367, 368, 369 से बने है, जिन्हे आगे प्रार्थना–पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 का रकबा जमाबंदी में सही दर्ज हुआ है, परन्तु भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 326, 327, 328 का नक्शा ट्रेश गलत रूप से बिना क्षैत्राधिकार के बनाकर परिवर्तित कर दिया, जबकि भू–प्रबंध विभाग को पुराने रिकार्ड (नक्शा) की पुनरावृति ही करने का अधिकार था और पुराने रिकार्ड (नक्शा) में परिवर्तन का अधिकार नही था। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही पुराने रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल कर सकते थे परन्तु भू–प्रबंध विभाग ने किसी सक्षम न्यायालय के अभाव में बिना क्षैत्राधिकार के और कानून के खिलाफ जाकर खसरा नम्बर 326, 327, 328 का नक्शा छोटा–बड़ा बना दिया तथा खसरा नम्बर 328 जो अनावेदकगण की भूमि है का नक्शा बड़ा बना दिया जो कतई गलत बनाया है। नक्शे में परिवर्तन करने से आवेदक के अधिकारों पर कुठाराघात होता है, इसलिये नक्शा दुरूस्ती करवाया जाना आवेदक के लिये आवश्यक हुआ। पुराने नक्शे व नये नक्शों के मिलान करने पर स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने नये नक्शे में आवेदक के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:41:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

खसरा नम्बर 326, 327 का नक्शा छोटा बनाया है, सीमाओं में परिवर्तन किया है तथा आवेदक नम्बर 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 328 की खातेदारी की भूमि का नक्शा गलत रूप से बड़ा बनाया है, इसलिये आवेदक पुराने नक्शा शीट के अनुसार (सन् 1935–36) नई नक्शा शीट में दुरुस्ती करवाना चाहता है तथा इस आशय की घोषणा करवाना चाहता है जिसके लिये वाद पेश किया गया है।

भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 326, 327 का नक्शा छोटा बना दिया तथा अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 328 का नक्शा बड़ा बना दिया, जिसके आधार पर अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमा को खुर्द–बुर्द करके अपनी खातेदारी की भूमि में आवेदक की भूमि मिलाना चाहते है, भूमि खसरा नम्बर 329, 1412/328 पर कब्जा करना चाहते है। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 ने आवेदक को दिनांक 01.07.2019 को खुले आम धमकी दी है कि तुम्हारी खातेदारी की भूमि की सीमा को काटकर अपनी खातेदारी की भूमि में मिलान, सीमा पर खड़े हरे पेड़ो को काटकर मिट्टी की खुदाई करके सीमा को काटकर भूमि को खुर्द–बुर्द करेगे जिससे आवेदक के खातेदारी अधिकारों पर क्लाउड आ गया है। अनावेदकगण की उक्त गलत योजना से आवेदक के अधिकार प्रभावित होते है तथा मौके पर आवेदक अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से कभी भी वंचित हो सकता है। इसलिये अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 गलत नक्शे के आधार पर आपस में मिलकर आवेदक की खातेदारी की भूमि पर नाजायज रूप से ताकत व लठ के बल पर कब्जा नही करे सीमाओं को नही काटे, सीमा पर खडे हरे पेड़–पौधे को नही काटे, मिट्टी की खुदाई करके, सीमाओं को काटकर अपनी भूमि में नही मिलाये, मौके पर किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध कार्यवाही को अन्जाम नही देवें, जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

आवेदक भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 का रिकार्डेड खातेदार है, काबिज काश्तकार है। पुरानी व नई शीट के मिलान से ही स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 का भू–प्रबन्ध विभाग ने पुरानी शीट के विपरीत नई शीट में परिवर्तन किया है। इसलिये आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है, परन्तु अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 आपस में मिलकर गलत नक्शे के आधार पर अपनी गलत कार्यवाही को अन्जाम देने में अग्रसर है। आवेदक को गलत नक्शे के आधार पर मौके पर भूमि से वंचित कर सकते है, नाजायज रूप से कब्जा कर सकते है, अगर अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 अपनी विधि विरूद्ध गलत योजना में सफल हो गये तो आवेदक को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा भुगतना किसी भी हालत में संभव नही होगा, आवेदक को मुकदमें बाजी में फसना होगा, जिससे समय व धन की बर्बादी होगी, साथ ही मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी होगी, ऐसी सूरत में अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना निहायत ही जरूरी व आवश्यक है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित आवेदक की खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 के संबंध में गलत नक्शे के आधार पर आपस में मिलकर वादी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज रूप से ताकत व लठ के बल पर कब्जा नही करे, सीमाओं को नही काटे, सीमा पर खड़े पेड़–पौधो को नही काटे, मिट्टी की खुदाई करके, सीमओं को काटकर अपनी भूमि मे नही मिलाये, मौके पर किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध कार्यवाही को अन्जाम नही देवे। मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिह उपस्थित आये। अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत की ओर द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरोध करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज अनुसार आवेदक का द्वारा उनवानी रामदेव सिह बनाम देवकरण वगैरह न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है परन्तु आवेदक का दावा आधारहीन तथ्यों के आधार पर पेश होने के कारण खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 के नाम से खसरा नम्बर 328 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि होना स्वीकार है। बाकी रकबा के बाबत अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 को ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की धारा 3 में वर्णित तथ्य जिसमें आवेदक द्वारा नक्शा ट्रेस गलत बनाये जाने का उल्लेख किया है, वह गलत है। आवेदक द्वारा उक्त धारा में वर्णित तथ्यों को आधारहीन व बेबुनियाद रूप से अंकित किया है, जिसे अस्वीकार करते है। अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 शांतिपूर्वक जीवन यापन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:11:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

ले व्यक्ति है, जबकि आवेदक अतिक्रमी प्रवृति का व्यक्ति है जो अपने पास पडौस के काश्तकारों से लड़ाई झगडा व भूमि की सींव पर अवैध अतिक्रमण इत्यादि करता रहा है।

प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस तरह से लिखी हुई है वह अस्वीकार है आवेदक द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से साज कर अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 पर बेबूनियाद आरोप लगाये है, जबकि आवेदक की भूमि पर रिकार्ड में दर्ज नपती से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है। आवेदक ने अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 पर दिनांक 01.07.2019 को ऐलानियां धमकी देने बाबत जो आरोप लगाये है वो बेबुनियाद है व असत्य है। अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 सिनियर सीटीजन संभ्रांत व्यक्ति है।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस तरह से लिखी गई है वह अस्वीकार हे। ना तो आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनात है और ना ही आवेदक के पक्ष में सुविधा का संतुलन है, क्योंकि खसरा नम्बर 338 में लगभग 50 साल से मकान व कुआं बना हुआ है, जो आवेदक ने उक्त खसरान को क्रय किया उससे पहले से अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 उक्त भूमि पर काबिज है। आवेदक झूठे मुकदमे बाजी में हमेशा से लिप्त रहा है। आवेदक अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने को अधिकारी नही है।

प्रार्थना पत्र की धारा 6 कानूनी है जिसके उतर की आवश्कता नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 7 जिसके उतर की आवश्यकता नही है।

अनावेदकगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना के साथ अतिरिक्त उत्तर पेश किया कि आवेदक एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो अपने आड़ोस पाड़ौस में लगने वाले समस्त काश्तकारों की सीवों को अतिक्रमण कर अपनी भूमि मे मिला लेता हैं तथा आये दिन पडौसी काश्तकारों से लडाई झगडा करता रहता है। भूमि की नपती आदि करवाये जाने पर वह झूठा मुकदमा कोर्ट न्यायालय का समय बर्बाद करने हेतु वाद दायर करता है।

खसरा नम्बर 328 रकबा 0.78 हैक्टर भूमि अनावेदगण नम्बर 1 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता मुखराम ने अपने परिवार के रिहायशी उद्देश्य हेतु करीब 55–56 साल पूर्व खरीदा था, उसने अनावेदक नम्बर 3 व 4 ने अपने हिस्से में आयी हुई भूमि पर आवेदक द्वारा क्रय करने से पूर्व ही मकानात बना रखे है, जिसमें अनावेदक नम्बर 3 व 4 ने अपने मकानों के पिछे चार फीट की गैलेरी रख रखी थी जिसमें वो अपने मकान के रंग रोगन जगले रोशनदान इत्यादि का उपयोग व उपभोग कर सके इस पर आवेदक की नियत में खोट आने के कारण यह झूठां मुकदमा पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया।

जवाब देही पेश होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नही किया गया कि कौनसी शीट सही है व इसे प्लीडिंग में नही बताया है। भूमि किस दिशा मे दबी/कम हुई है यह भी स्पष्ट नही किया है। अनावेदक अधिवक्ता ने बहस आवेदक का विरोध कर जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि यह प्रथम सैटलमेंट निजामत में दोनो में चेंज हुआ था जिन पर उज्र उठाया है उन पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो जाता है तब तक स्थगन आदेश प्रभावी रखा जावे। जवाब में आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि हमें पक्षकार बनाया है। अन्य किसका अतिक्रमण है उत्तर पश्चिम में कौन है उन्हे पक्षकार नही बनाया। किस साईड में अतिक्रमण है यह कही उल्लेख नही है। आवेदक जमीन पूरी बता रहे है उन्हे पक्षकार बनाते। तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट प्राप्त नही है, कि नक्शा सही है अथवा गलत है, जो कथन/तथ्य अनावेदकगण जवाब दावे में बताये उनसे बाहर नही जा सकते है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम बुगाल की सरहद में नई खाता सख्या 346 की भूमि खसरा नम्बर 1412/328, 1479/374, 1480/374, 1481/374, 1482/374, 1727/329, 326, 327, 329, 374 रकबा क्रमशः 0.14, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.8160, 0.60, 0.4539, 0.26, 0.25 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.5199 हैक्टर आवेदक खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 1729/327 [illegible] 0.0261 हैक्टर मूल खसरा नम्बर 327 का भाग है तथा राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में नई खाता [illegible] 2 की भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.78 हैक्टर अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार है। आवेदक का वाद भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328, 1412/1328, 329 के राजस्व नक्शा को लेकर है जो भूमि पुराने खसरा नम्बर 367, 368, 369 से बने है, भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 का रकबा जमाबंदी में सही दर्ज हुआ है। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 326, 327, 328 का नक्शा ट्रेश गलत रूप से बिना क्षेत्राधिकार के बनाकर परिवर्तित कर दिया, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को पुराने रिकार्ड (नक्शा) की पुनरावृति ही करने का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:11:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

और पुराने रिकार्ड (नक्शा) में परिवर्तन का अधिकार नही था। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही पुराने रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल कर सकते थे परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग वालो ने किसी सक्षम न्यायालय के आदेश बिना ही खसरा नम्बर 326, 327, 328 का नक्शा छोटा–बड़ा बना दिया तथा खसरा नम्बर 328 जो अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि है का नक्शा बड़ा बना दिया जो कतई गलत बनाया है। नक्शे में परिवर्तन करने से आवेदक के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है:–

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन** :– राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में नई खाता सख्या 346 की भूमि खसरा नम्बर 1412/328, 1479/374, 1480/374, 1481/374, 1482/374, 1727/329, 326, 327, 329, 374 रकबा क्रमशः 0.14, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.8160, 0.60, 0.4539, 0.26, 0.25 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 3.5199 हैक्टर आवेदक खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 1729/327 रकबा 0.0261 हैक्टर मूल खसरा नम्बर 327 का भाग है तथा राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में नई खाता संख्या 142 की भूमि खसरा नम्बर 328 रकबा 0.78 हैक्टर अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 खातेदार काश्तकार है। यहां आवेदक का वाद भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328, 1412/1328, 329 के राजस्व नक्शे को लेकर है, जो भूमि पुराने खसरा नम्बर 367, 368, 369 से बने है, भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 328 का रकबा जमाबंदी में सही दर्ज हुआ है। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 326, 327, 328 का नक्शा ट्रेश गलत रूप से बिना क्षेत्राधिकार के परिवर्तित कर दिया, जबकि भू–प्रबंध विभाग को पुराने रिकार्ड (नक्शा) की पुनरावृति करने का ही अधिकार था और पुराने रिकार्ड (नक्शा) में परिवर्तन का अधिकार नही था। भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारी को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही पुराने रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल कर सकते थे परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने किसी सक्षम न्यायालय के आदेश बिना ही खसरा नम्बर 326, 327, 328 का नक्शा छोटा–बड़ा बना दिया तथा खसरा नम्बर 328 जो अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि है का नक्शा बड़ा बना दिया जो कतई गलत बनाया है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है
- **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से अपूरणीय क्षति भी आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुगाला की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 326, 327, 1412/328, 329 रकबा क्रमशः 0.60, 0.4539, 0.14, 0.26 हैक्टर भूमि के मोके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 29.08.2019 को कन्फर्म की किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:11:07 IST
Reason: SelfAttested